न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

अपील संख्या–11/2021 (सू0 का अधि0)
जीसीएमएस नं0 2021/154

श्री गोविन्दलाल नागर, पता ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा कोटा हाल निवासी कैथून वार्ड नं0 10 नगर पालिका कैथून
–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा कोटा।
–प्रत्यर्थी

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक :– 13/7/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं श्री श्री गोविन्दलाल नागर, पता ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा कोटा हाल निवासी कैथून वार्ड नं0 10 नगर पालिका कैथून के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.04.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई–

1. दिनांक 12.3.1994 को पंचायत सीमलिया को ग्राम कराडिया की सिलिंग भूमि किता 3 रकबा 1.63 हेक्टयर आवंटित भूमि की राशि दिनांक 17.5.94 को चालान नं0 157 से 1630–00 चालान नं0 293 से दिनांक 16.9.96 4168 कुल राशि 5798/– जमा करा दी गई थी। पूर्ण राशि के जमा होने के बाद भी उक्त भूमि अन्य को आवंटन कर दी गई कारण स्पष्ट करें तथा प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय को प्रेषित की गई जो दिनांक 23.6.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु लिखा जाने पर पत्रांक/सूचना/ प्रथम –अपील/(प–95/21)/2021/299 दिनांक 09.7.2021 से टिप्पणी

जिला कलेक्टर
कोटा

मय रेकार्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । कोरोना वायरस संक्रमण एवं लोकडाउन के कारण अपीलार्थी को तलब नहीं किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि "आवेदक द्वारा आवेदन में वर्णित बिन्दु की सूचना का संबंध अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कलेक्ट्रेट कोटा से होने के कारण अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा से सूचना चाहने हेतु पत्र लिखा गया । अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा से सूचना प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूचना/प(95/21)/2021/287 दिनांक 8.7.2021 से सूचना आवेदक को जर्ये डाक से भिजवा दी गयी है । जिसकी छाया प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है । चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी अनुसार प्रार्थी को सूचना जर्ये डाक से भिजवाई जा चुकी है, किन्तु सूचना का सम्बन्ध अति0 जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा से होने से पत्रावली में उपलब्ध उनकी टिप्पणी दिनांक 7.7.2021 अनुसार प्रकरण में जांच कार्यवाही की जा रही है, कोविड 19 बीमारी के कारण जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं होने बताया तथा जांच पत्रावली में जो मूल पत्र पत्रादि है की सत्यापित छाया प्रतियां भिजवाई गई जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पत्र दिनांक 8.7.2021 से प्रार्थी अपीलांट को भिजवाई जा चुकी है ।

पणिामस्वरूप प्रस्तुत अपील में प्रार्थी अपीलांट को आंशिक सूचना उपलब्ध करा दी गई है तथा प्रकरण की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा